:: कार्यालय–ज्ञाप ::

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 29.01.2016 में प्रस्ताव सं0 18 (2) द्वारा 'उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली, 2013' के नियम संख्या–09 {बैंक कार्मिकों के संवर्गों एवं पदनामों (स्टाफिंग पैटर्न) से सम्बन्धित} मे संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव के क्रम मे उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या:1800/मण्डल/विनि0संशो0, दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा प्राप्त अनुमोदन एवं आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के ज्ञाप संख्या:135–136/अधि0–3(163/20)/भू0वि0बैं0,लखनऊ,11 अप्रैल, 2018 द्वारा बैंक कार्मिकों के संवर्गों एवं पदनामों में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार, बैंक कार्मिकों के पदनामों के सम्बन्ध में निर्गत बैंक कार्यालय ज्ञाप सं0: 20762/स्थापना/2012–13, दिनांक 18.01.13 को अवक्रमित करते हुए बैंक कार्मिकों के अधोलिखित पदनामों में निम्नवत् परिवर्तन किया जाता है:–

क0सं0	पूर्व पदनाम	परिवर्तित पदनाम (संवर्ग सहित)
1	2	3
1.	प्रबन्धक श्रेणी–1	शाखा प्रबन्धक/आन्तरिक सम्प्रेक्षक
		प्रबन्धक (विधि)
2.	प्रबन्धक श्रेणी–2	वरिष्ठ प्रबन्धक
		वरिष्ठ प्रबन्धक (विधि)
		वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी)
		वरिष्ठ प्रबन्धक (नि:संवर्ग/कम्प्यूटर)
3.	प्रबन्धक श्रेणी–3	सहायक महा प्रबन्धक
		सहायक महा प्रबन्धक (विधि)
		सहायक महा प्रबन्धक (नि:संवर्ग/संख्या)
4.	प्रबन्धक श्रेणी–3 (तकनीकी)	सहायक महा प्रबन्धक (तकनीकी)

कार्यालय ज्ञाप सं0: 20762/स्थापना/2012–13, दिनांक 18.01.13 निर्गत किये जाने के ठीक पूर्व जो कार्मिक, जिस पदनाम (संवर्ग सहित) को धारित किए हुए थे अथवा जिस संवर्ग मे कार्यरत थे, वे कार्मिक उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ सं0 03 मे उल्लिखित परिवर्तित पदनाम (संवर्ग सहित) धारित करेंगे/उसी संवर्ग मे अवधारित किये जायेगें तथा उनकी ज्येष्ठता भी उसी संवर्ग के अधीन होगी।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

कार्य0ज्ञाप सं0: 14517 /स्थापना/2018–19, दिनांक: 18.04.18

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त शाखा प्रबन्धक/प्रबन्धक (विधि)/वरिष्ठ प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक (विधि) उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
3. उपमहाप्रबन्धक (आई0 टी0 सेल) को बैंक की वेबसाइट एवं शाखाओं के मेल आई.डी. पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी सचिव (सभापति) को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: 1800/मण्डल/विनि0 संशो0, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम मे सूचनार्थ।
6. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: 135–136/अधि0–3(163/20) /भू0वि0बैं0, लखनऊ 11 अप्रैल, 2018 के क्रम मे सूचनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक